न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 115/2019 वाद

भगवतीलाल पिता गणेशलाल कुमावत, आयु 34 साल, निवासी रानीखेड़ा।
– वादी

//बनाम//

1. मथुरालाल पिता भुरालाल कुमावत, आयु 74 साल, निवासी रानीखेड़ा।
2. कन्हैयालाल पिता मथुरालाल कुमावत, आयु 48 साल, निवासी रानीखेड़ा।
3. गणेशलाल पिता मथुरालाल कुमावत, आयु 46 साल, निवासी रानीखेड़ा।
4. नंदलाल पिता मथुरालाल कुमावत, आयु 44 साल, निवासी रानीखेड़ा।
5. रोशन पिता शिवलाल कुमावत, आयु 24 साल, निवासी रानीखेड़ा।
6. लता पुत्री शिवलाल कुमावत, आयु 23 साल, निवासी रानीखेड़ा।
7. चन्द्रकला बेवा शिवलाल कुमावत, आयु 42 साल, निवासी रानीखेड़ा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 रा.का.अधि.
श्री अनुराग ओझा, अधिवक्ता वादी, उपस्थित

निर्णय दिनांक 21.08.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा रानीखेड़ा की खाता संख्या 200 की आराजी नं. 510, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 767, 768, 769 कुल किता 14 कुल रकबा 5.3400 हेक्टेयर भूमि स्थित है। यह भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से अधिकार है तथा वादी प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर शामलाती रूप से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। पक्षकारान का सजरा निम्नानुसार है–

वादी के पिता गणेशलाल प्रतिवादी संख्या 3 हैं और वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते हैं, ना ही अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं तथा गलत संगत में होने से अपनी पैतृक कृषि भूमि पर भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते हैं जिस कारण वादी उनके 1/5 हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। चूंकि प्रतिवादी नं. 1 मथुरालाल जो वादी के दादा हैं, वादी के पिता गणेशलाल के चाल चलन से अत्यंत दुखी हैं एवं समाज के लोगों के बार बार उलाहना देने से अत्यन्त रूष्ट हैं। इन सब चिजों का फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 2 कन्हैयालाल व प्रतिवादी संख्या 4 नंदलाल मिलकर प्रतिवादी संख्या 1 मथुरालाल को बहला फुसाकर सम्पूर्ण कृषि भूमि अपने नाम पर कराने को आमदा हो रहे हैं जबकि वादी प्रतिवादीगण सभी का उक्त भूमि पर 1/5, 1/5 हक हिस्सा है। उसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। जब वादी को प्रवितादी संख्या 2 व 4 के मन में आई बदनियती का पता चला और उसने प्रतिवादी संख्या 1 अपने दादा मथुरालाल से पुश्तैनी भूमि होने से वादी के नाम कराने का निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण नहीं मान रहे हैं इसलिए मजबुरन वादी को यह दावा प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा डिक्री किया जावे तथा प्रश्नगत आराजीयात में वादी का अपने पिता के साथ संयुक्त रूप से 1/5 हक हिस्सा घोषित किया जावे। विवादित भूमि का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तारीख पेशी पर प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा राजीनामा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया की पक्षकारान के मध्य

आपस में समझौता होकर राजीनामा हो गया है तथा वाद का निस्तारण राजीनामें अनुसार किया जावे। विवादिद भूमि कुल 21 बीघा है जिसमें से 4 बीघा प्रतिवादी संख्या 2 कन्हैयालाल, 4 बीघा प्रतिवादी संख्या 4 नन्दलाल, 4 बीघा शिवलाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के तथा प्रतिवादी संख्या 3 गणेशलाल के हिस्से की 4 बीघा भूमि वादी भगवतीलाल के रखी गई है। शेष 5 बीघा भूमि यथावत प्रतिवादी संख्या 1 मथुरालाल के रखी गई है। इसी अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है तथा बंटवारा नहीं चाहा है।

हमने बहस सुनी। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड है जो वादी और प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 के पिता हैं। सजरे अनुसार मोतीलाल जी के 4 पुत्र हुए जिसमें से शिवलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 5 से 7 हैं। वादी प्रतिवादी संख्या 3 गणेशलाल का पुत्र है। राजीनामें में गणेशलाल के हिस्से की 4 बीघा भूमि उसके बजाय वादी के नाम दर्ज करने की अनुमति चाही गई है जिससे प्रतिवादी संख्या 3 गणेशलाल भी सहमत हैं। साथ ही एक पारिवारिक समझौता नामा भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें भी राजीनामें अनुसार ही हिस्से अंकित किये गये हैं। चूंकि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य हैं जो पैतृक सम्पत्ति का सहमति से निस्तारण करना चाहते हैं इसलिए राजीनामा स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा रानीखेड़ा की खाता संख्या 200 की आराजी नं. 510, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 767, 768, 769 कुल किता 14 कुल रकबा 5.3400 हेक्टेयर में वादी का 4/21, प्रतिवादी संख्या 1 का 5/21, प्रतिवादी संख्या 2 का 4/21, प्रतिवादी संख्या 4 का 4/21 तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 7 का संयुक्त रूप से 4/21 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 21.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 115/2019 वाद

भगवतीलाल पिता गणेशलाल कुमावत, आयु 34 साल, निवासी रानीखेड़ा।
– वादी

//बनाम//

1. मथुरालाल पिता भुरालाल कुमावत, आयु 74 साल, निवासी रानीखेड़ा।
2. कन्हैयालाल पिता मथुरालाल कुमावत, आयु 48 साल, निवासी रानीखेड़ा।
3. गणेशलाल पिता मथुरालाल कुमावत, आयु 46 साल, निवासी रानीखेड़ा।
4. नंदलाल पिता मथुरालाल कुमावत, आयु 44 साल, निवासी रानीखेड़ा।
5. रोशन पिता शिवलाल कुमावत, आयु 24 साल, निवासी रानीखेड़ा।
6. लता पुत्री शिवलाल कुमावत, आयु 23 साल, निवासी रानीखेड़ा।
7. चन्द्रकला बेवा शिवलाल कुमावत, आयु 42 साल, निवासी रानीखेड़ा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 रा.का.अधि.

प्रकरण में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग ओझा की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा रानीखेड़ा की खाता संख्या 200 की आराजी नं. 510, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 767, 768, 769 कुल किता 14 कुल रकबा 5.3400 हेक्टेयर में वादी का 4/21, प्रतिवादी संख्या 1 का 5/21, प्रतिवादी संख्या 2 का 4/21, प्रतिवादी संख्या 4 का 4/21 तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 7 का संयुक्त रूप से 4/21 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपयुक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आज तारीख 21.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.03.14 15:09:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: